न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्री देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)

:: राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 126 / 2022 उनवान घनश्याम बनाम प्रधान ::

1. श्री घनश्याम खटीक पुत्र अमरचन्द खटीक
2. श्री महावीर प्रसाद पुत्र अमरचन्द खटीक
3. श्री सुमेर सिंह बंबेरवाल पुत्र अमराव खटीक

समस्त निवासीगण ग्राम ढसूक, तहसील अरांई, जिला अजमेर राज.। --प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री प्रधान पुत्र देवकरण, जाति गुर्जर, निवासी मोठी, तहसील अरांई जिला अजमेर
2. श्रीमति नोसर पत्नी भंवरलाल, जाति जाट, निवासी मा.कला, तहसील अरांई जिला अजमेर
3. श्री पुखराज पुत्र देवकरण, जाति गुर्जर, निवासी मोठी, तहसील अरांई जिला अजमेर
4. श्री रामनिवास पुत्र नारायण, जाति रेगर निवासी ढसूक, तहसील अरांई जिला अजमेर
5. श्रीमति प्रेम पत्नी यासीन मोहम्मद तेली, जाति मुसलमान
6. श्री लाल मोहम्मद पुत्र रहमान तेली, जाति मुसलमान
7. श्री सुलेमान पुत्र रहमान तेली जाति मुसलमान
8. श्री गुल मोहम्मद पुत्र छोटू जाति तेली, जाति मुसलमान
9. श्री यासीन पुत्र रहमान तेली जाति मुसलमान

समस्त निवासीगण ढसूक तहसील अरांई अजमेर राजस्थान।

10. श्री अली मोहम्मद पुत्र छोटू जाति तेली, जाति मुसलमान
11. श्री इकबाल पुत्र शकूर खान
12. श्री इब्राहिम पुत्र शकूर खान
13. कंचन पुत्र छोटू खां
14. श्री नजीर मोहम्मद पुत्र रहमान खान
15. श्री पीर मोहम्मद पुत्र छोटू तेली
16. श्री पीर मोहम्मद पुत्र छोटू तेली
17. श्री बशीर पुत्र शकूर खां तेली
18. मूला पुत्री छोटू खां तेली
19. श्री भंवरलाल पुत्र शकूर तेली

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.11.28 13:31:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)

. श्रीमति रहीमन पत्नी शकूर खान तेली
21. रोशन पुत्री छोटू खां तेली
22. लाली पुत्री छोटू खां तेली
23. श्री हकीम मोहम्मद पुत्र छोटू खां तेली
24. श्री अहमदनूर पुत्र भूरे खां तेली
25. श्री नजीर खां पुत्र चांद खां
26. श्री बद्री पुत्र चांद खां
    समस्त निवासीगण ग्राम ढसूक।
27. श्री बन्नालाल पुत्र भंवरलाल जाति जाट
28. श्री भागचन्द पुत्र भंवरलाल जाति जाट
    समस्त निवासी ग्राम मा.कला ।
29. श्री मेवा पुत्र भूरे खां, जाति मुसलमान
30. श्री यासीन पुत्र भूरे खां, जाति मुसलमान
    समस्त निवासीगण ग्राम ढसूक।
31. श्री रामकुंवार पुत्र भंवरलाल जाति जाट
32. श्री शाहबुद्दीन पुत्र रंगलाल जाति मुसलमान
33. श्रीमति सुगरा पत्नी भूरे खां जाति मुसलमान(नाम तर्क आदेश दिनांक 29.09.2023)
34. श्रीमति सुगरी पत्नी रंगलाल जाति मुसलमान
35. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अरांई तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।

——अप्रार्थीगण

<u>निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956</u>

निर्णय दिनांक 13/10/23

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.11.28 13:31:05 IST
Reason: SelfAttested

1. प्रार्थीगण की और से एक प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री [illegible] ने अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया [illegible] जो बाद जांच रिपोर्ट दिनांक 25.11.2022 को दर्ज रजिस्टर क्रमांक 128/2022 पर दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगणों की जरिये नोटिस तलबी की गई। प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगणो की ओर से अधिवक्ता श्री अंकित जैन ने जाहिर किया कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व आधिपत्य की जमीन ग्राम ढसूक पटवार हल्का ढसूक, तहसील अरांई जिला अजमेर में स्थित जिसके खसरा संख्या 258 रकबा 0.7281 हैक्टैयर है उक्त

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

भूमि वर्तमान में प्रार्थीगण के नाम ही दर्ज है तथा उक्त भूमि पर वर्तमान में प्रार्थी की कब्जा काश्त है। यह है कि प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 02 में वर्णित खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 258 के चारो दिशाओं में अप्रार्थीगण की भूमि है। जिस पर नक्शा ट्रेस में काबिज अनुसार तरमीम हो रखी है।। यह है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 01 में वर्णित अपनी खातेदारी की कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाने के लिये प्रार्थना पत्र तहसीलदार अरांई को सीमाज्ञान बाबत दिया था जिसके अनुक्रम में पटवार हल्का व गिरदावर हल्का द्वारा दिनांक 13.05.2016 को मौका पर्चा तैयार किया गया था जिससे प्रार्थीगण के पडौसी खातेदार संतुष्ट नहीं हुये। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि पर कृषि भूमि पर कृषि कार्य कर रहें हैं किन्तु अप्रार्थीगण आये दिन सींव मेड सीमा को लेकर विवाद करते रहते हैं एवं अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 34 एवं परिवारजन द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि की सींव उखाडने पर आमादा हो जाते हैं तथा प्रार्थी की आराजी पर ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा है। जिससे प्रार्थी काफी परेशान है। जिससे की प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि पर पत्थरगढी करवाना अतिआवश्यक है इसीलिये यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष सदभावनापूर्वक पेश किया जा रहा है। यह है कि प्रार्थीगण गरीब व वृद्ध काश्तकार है जो अपने व अपने परिवार का लालन पालन उपरोक्त आराजी से करतें हैं जिसमें से अप्रार्थीगण द्वारा अवैध रूप से मेड सींव का विवाद करते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीगण माननीय न्यायालय के समक्ष सदभाविक रूप से पत्थरगढी का यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण की श्रीमान न्यायाधीश से यह प्रार्थना है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की ढसूक पटवार हल्का ढसूक स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 258 रकबा 0.7281 हैक्टैयर का जमाबन्दी व राजस्व ट्रेस के अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढी करने के प्रार्थीगण के पक्ष में आदेश प्रदान कराने की कृपा करवावें।

2. दिनांक 23.11.2022 को पत्रावली बाद तलबी पेश हुई। अप्रार्थी संख्या 01 से 32 तथा 34,35 बावजूद तामिली के अनुपस्थित रहे। तामिल कुनिन्दा की रिपोर्टनुसार अप्रार्थी संख्या 33 फौत होने की रिपोर्ट हुई। दिनांक 29.09.2023 को वकील प्रार्थी उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. में पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 33 से किसी भी प्रकार से अनुतोष नहीं चाहते है अतः श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 33 का नाम तर्क किया जावे। हमारे द्वारा वकील प्रार्थी को सुना गया एवं अप्रार्थी संख्या 33 का नाम तर्क किया गया, तथा बावजूद तामिली के अनुपस्थित रहने के कारण अप्रार्थीगणों के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई । वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. 1956 पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व आधिपत्य की जमीन ग्राम ढसूक पटवार हल्का ढसूक, तहसील अरांई जिला अजमेर में स्थित जिसके खसरा संख्या 258 रकबा 0.7281 हैक्टैयर है उक्त भूमि वर्तमान में प्रार्थीगण के नाम ही दर्ज है तथा उक्त भूमि पर वर्तमान में प्रार्थी की कब्जा काश्त है। यह है कि प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र के पैरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.11.28 13:31:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
अरांई (अजमेर)

संख्या 02 में वर्णित खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 258 के चारो दिशाओं में अप्रार्थीगण की भूमि है। जिस पर नक्शा ट्रेस में काबिज अनुसार तरमीम हो रखी है।। यह है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 01 में वर्णित अपनी खातेदारी की कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाने के लिये प्रार्थना पत्र तहसीलदार अरांई को सीमाज्ञान बाबत दिया था जिसके अनुक्रम में पटवार हल्का व गिरदावर हल्का 13.05.2016 को तैयार किया गया था जिससे प्रार्थीगण के पडौसी खातेदार संतुष्ट नहीं हुये। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि पर कृषि भूमि पर कृषि कार्य कर रहें हैं किन्तु अप्रार्थीगण आये दिन सींव मेड सीमा को लेकर विवाद करते रहते हैं एवं अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 34 एवं परिवारजन द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि की सींव उखाडने पर आमादा हो जाते हैं तथा प्रार्थी की आराजी पर ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा है। जिससे प्रार्थी काफी परेशान है। जिससे की प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि पर पत्थरगढी करवाना अतिआवश्यक है इसीलिये यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष सदभावनापूर्वक पेश किया जा रहा है। इस कारण प्रार्थीगण माननीय न्यायालय के समक्ष सदभाविक रूप से पत्थरगढी का यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण की श्रीमान न्यायाधीश से यह प्रार्थना है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की ढसूक पटवार हल्का ढसूक स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 258 रकबा 0.7281 हैक्टैयर का जमाबन्दी व राजस्व ट्रेस के अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढी करने के प्रार्थीगण के पक्ष में आदेश प्रदान कराने की कृपा करवावें।

3. हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई और प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अतः उपरोक्त विवेचन व संलग्न दस्तावेजानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम ढसूक, पटवार हल्का हल्का ढसूक स्थित भूमि खसरा संख्या 258 रकबा 0.7281 हैक्टैयर भूमि का राजस्व रिकार्ड अनुसार मौके पर नाप चौक कर पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार अरांई को कमिश्नर फीस 1500/–रु अक्षरे एक हजार पांच सौ मात्र, पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर फीस 1500/– रु जमा करवाने पर वे स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर तथा पर्याप्त पुलिस जाप्ता व संसाधन लेकर उक्त वाद ग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड के अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में नाप चौक कर पत्थरगढी करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 13.10.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.11.28 13:31:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)